

FORM OF APPLICATION FOR LEAVE

(अनुपूरक नियम 216 देखिए)

(See Supplementary rule 216)

टिप्पणी:- मद सं. 1 से 11 प्रत्येक आवेदक को भरनी चाहिए, चाहे वह राजपत्रित हो या अराजपत्रित

Note: Item 1 to 11 must be filled in by all applicants – whether Gazetted or non-gazetted

1. आवेदक का नाम/Name of applicant
2. लागू होने वाली अवकाश नियमावली/Leave Rules applicable
3. पद/Post Held
4. विभाग, कार्यालय और अनुभाग/Department, Office and Section
5. वेतन/Pay
6. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या अन्य प्रतिकर भत्ते  
House rent allowance, Conveyance or other compensatory allowance drawn in the present post
7. मांगी गई अवकाश की प्रकृति एवं अवधि तथा उसके शुरू होने की तारीख  
Nature and period of leave applied for and date from which required
8. रविवार और अवकाश के दिन, यदि कोई हो, जिन्हें अवकाश से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं  
Sundays and holidays, if any proposed to be prefixed/suffixed to leave
9. अवकाश का कारण/Ground on which leave is applied for
10. मैं आगामी अवकाश में ..... के खण्ड वर्षों के लिए अवकाश यात्रा की रियायत लूंगा/नहीं लूंगा  
I propose/do not propose to avail myself to leave travel concession for the block years
11. पिछले अवकाश से लौटने की तारीख और उस अवकाश की किस्म तथा अवधि  
Date of return from last leave and the nature and period of that leave
12. मैं वचन देता हूँ कि औसत वेतन छुट्टी/परिवर्तित अवकाश की अवधि में लिए गए छुट्टी वेतन और आधे औसत वेतन/अर्ध वेतन अवकाश में मिलने वाले वेतन के अन्तर की उस रकम को वापस कर दूंगा जो अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान मेरे सेवा निवृत्त होने की स्थिति में मूल नियम 81(ख)(ii)/ संशोधित अवकाश नियमावली 1933 के नियम 11(ग)(iii) के लागू न होने पर स्वीकार्य न होती  
I undertake to refund the difference between the leave salary drawn during leave on average pay/commuted leave and that admissible during leave on half average pay/held pay leave, which would not have been admissible had the provision to FR 81(b)(ii) rule 11(c)(iii) of the Revised Leave Rules 1933, not been applied in the event of retirement from service at the end of during the currency of the leave.

13. मैं वचन देता हूँ कि मेरे स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने या सेवा से त्याग पत्र देने तक यदि मैं कम से कम आधे वेतन का उतना अवकाश अर्जित न कर सका जितना अग्रिम अवकाश मैंने लिया है तो अग्रिम अवकाश के दौरान जो मूल नियम )81ग)/संशोधित अवकाश नियमावली, 1933 के नियम 11 (घ) के लागू न किए जाने पर मुझे न मिल पाता, मिले अवकाश के वेतन को वापस कर दूँगा

I undertake to refund the leave salary drawn during leave not due which would not have been admissible had FR 81(c)/Rule II(d) of the Revised leave Rules, 1933 not been applied, In the event of my voluntary retirement or resignation from service at any time until I earn half pay leave not less than the amount of leave not due availed by me.

दिनांक/Date

आवेदक का हस्ताक्षर/Signature of Applicant

14. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और सिफारिश

Remarks and recommendation of the controlling officer

दिनांक/Date.....

हस्ताक्षर/Signature.....